



भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India

(जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 द्वारा संस्थापित)
(Established by the Life Insurance Corporation Act, 1956)

Plan 164

भारतीय जीवन बीमा निगम का अनमोल जीवन - I (लाभ रहित) LIC's ANMOL JEEVAN - 1 (WITHOUT PROFITS)

भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे आगे "निगम" संदर्भित किया गया है) यहाँ नीचे संदर्भित तालिका में नामांकित प्रस्तावक एवं बीमित व्यक्ति से एक प्रस्ताव और घोषणा एवं प्रथम प्रीमियम प्राप्त करने के उपरान्त और अतिरिक्त प्रस्तावक व निगम उक्त प्रस्ताव एवं घोषणा में समाहित व संदर्भित प्राक्कथनों को इस बीमा का आधार मानकर इस पॉलिसी के द्वारा इस बात से सहमत होते हैं कि उपरोक्त तालिका में अंकित अगली प्रीमियम राशियों के प्राप्त होते रहने पर निगम उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को बिना किसी शर्तों के अनुसार बीमा राशि देय करेगी, निगम के समक्ष इस बात का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर कि तालिका में लिखे अनुसार बीमाधन देय हो चुका है तथा देय होने वाले धन के भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति उसे पाने का अधिकारी है तथा प्रस्ताव-पत्र में अंकित आयु, यदि पहले स्वीकृत नहीं हुई है, उसका सही प्रमाण मिलने पर इस पॉलिसी के लिए अपने बीमा सेवा उपलब्धकर्ता राखा कार्यालय के द्वारा बीमाधन का बिना किसी ब्याज के भुगतान करेगा। और एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि यह पॉलिसी इसके कुछ भाग पर मुद्रित शर्तों एवं सुविधाओं के अधीन होगी तथा दिनांकित तालिका और निगम द्वारा पॉलिसी पर अंकित प्रत्येक पृष्ठांकन पॉलिसी के अंग माने जायेंगे।

THE LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (hereinafter called "The Corporation") having received a Proposal and Declaration and the first premium from the Proposer and the Life Assured named in the Schedule referred to herein below and the said Proposal and Declaration with the statements contained and referred to therein having been agreed to by the said Proposer and the Corporation as basis of this assurance do by this Policy agree in consideration of and subject to the due receipt of the subsequent premiums as set out in the Schedule, to pay the Sum Assured without interest at the Branch Office of the Corporation where this Policy is serviced to the person or persons to whom the same is payable in terms of the said Schedule, on proof to the satisfaction of the Corporation of the Sum Assured having become payable as set out in the Schedule, of the title of the said person or persons claiming payment and of the correctness of the age of the Life Assured stated in the Proposal if not previously admitted.

And it is hereby declared that this Policy of Assurance shall be subject to the Conditions and Privileges printed on the back hereof, and that the following Schedule and every endorsement placed on the Policy by the Corporation shall be deemed part of the Policy.

DIVISIONAL OFFICE

SCHEDULE

BRANCH OFFICE

मण्डल कार्यालय पॉलिसी संख्या Policy No. पॉलिसी आरम्भ होने की तिथि Date of Commencement of Policy जोखिम आरंभ होने की तिथि Date of Commencement of risk	बीमा योजना एवं अवधि Plan & Term of Assurance	बीमा राशि (रु.) Sum Assured (Rs.)	देय प्रीमियम (रु.) Premium Payable (Rs.)	शाखा कार्यालय प्रस्ताव सं. और तिथि Proposal No. & Date
बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित व्यक्ति Nominee under Section 39 of the Insurance Act, 1938		भुगतान विधि (रु.) Mode of Payment :		
प्रस्तावक और बीमित व्यक्ति का नाम व पता Name and address of the Proposer and Life Assured		बीमित व्यक्ति की आयु : Age of the Life Assured :		
		क्या आयु स्वीकृत है ? Whether Age admitted :		
		जन्मतिथि : Date of Birth :		
		देय तिथि : Due Date :		
		अंतिम भुगतान की तिथि : Date of Last Payment :		
		पॉलिसी अवधि समाप्त होने की तिथि : Date of Expiry of Policy Term :		
घटना, जिसके घटित होने पर बीमा राशि देय होगी : Event on happening of which Sum Assured is payable	पॉलिसी अवधि समाप्त होने की तिथि के पूर्व, मृत्यु होने पर On death before date of expiry of policy term.			
बीमाधन किसे देय होगा : To whom Sum Assured payable	प्रस्तावक या उसके समनुदेशितियों या बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अंतर्गत नामित व्यक्तियों अथवा उन प्रमाणित प्रबंधकों या प्रशासकों या अन्य वैधानिक प्रतिनिधियों को, जो कि उसकी सम्पत्ति अथवा केवल इस पॉलिसी के अंतर्गत देय राशि के लिए, भारत संघ के किसी राज्य या क्षेत्र के किसी भी न्यायलय प्रतिनिधित्व का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेता है। The Proposer or his Assignees or Nominees under Section 39 of the Insurance Act 1938 or proving Executors or Administrators or other Legal Representatives who should take out representation to his Estate or limited to the moneys payable under this Policy from any Court of any State or Territory of the Union of India.			
अवधि जिस के दौरान प्रीमियम देय होगा : Period during which premium payable	अंतिम भुगतान तिथि तक या उसके पूर्व बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने तक Till the stipulated date of Last Payment or previous death of the Life Assured			
प्रीमियम भुगतान की तिथियाँ Dates when premium payable में निर्धारित देय तिथि को On the stipulated date in.....			

निगम की ओर से वेपर्युक्त शाखा कार्यालय में हस्ताक्षर किया गया है, जिसका पता नीचे दिया गया है और पॉलिसी से संबंधित सभी पत्र व्यवहार इसी पते पर किया जाना चाहिए।
Signed on behalf of the Corporation at the above-mentioned Branch Office whose address is given below and to which any communication relating to the above policy should be addressed.

दिनांक Date _____

पंचकर्ता Examined _____

फॉर्म सं. Form No. 164

कृपे वरिष्ठ / शाखा प्रबंधक P. Sr./Branch Manager

L 0279400

CONDITIONS AND PRIVILEGES WITHIN REFERRED TO

1. आयु का प्रमाण : प्रीमियम राशि की गणना प्रस्ताव-पत्र में लिखी गई बीमादार की आयु पर की जाती है। यदि सही आयु इस आयु से अधिक पाई जाती है, ऐसी स्थिति में बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों एवं उपचारों को क्षतिविहीन रखते हुए प्रवेश के समय बीमादार की सही आयु पर गणना की गई प्रीमियम राशि देय होगी और बीमादार निगम को पालिसी के आरंभ से लेकर ऐसे भुगतान की तिथि तक सही आयु पर प्रीमियम और मूल प्रीमियम के अन्तर की संचित धनराशि भुगतान के समय चालू ब्याज की दर से ब्याज के साथ भुगतान करेगा। तथापि, प्रावधान है कि यदि बीमादार प्रीमियम का भुगतान इस में लिखी दर से ही करता है और उपर्युक्त संचित ऋण का भी भुगतान नहीं करता है तो पालिसी के आरम्भ से दावा बनने की तिथि तक सही आयु पर गणना की गई प्रीमियम राशि और मूल प्रीमियम के अन्तर की संचित धनराशि तथा ऐसे अन्तर की प्रत्येक किरत पर दावे के समय चालू ब्याज की दर से ब्याज को उक्त पालिसी द्वारा बीमादार पर उत्पन्न ऋण माना जायेगा और उसे पालिसी पर दावा होने पर देय दावा राशि से काट लिया जायेगा। आगे प्रावधान है कि यदि प्रवेश के समय बीमादार की आयु ऐसी पाई जाती है कि यह इसमें दी तालिका म उल्लिखित वर्ग या शर्तों के अन्तर्गत बीमा योग्य नहीं है तो यह पालिसी रद्द समझी जाएगी। इस स्थिति में, पालिसी के अंतर्गत भरे गए प्रीमियमों से प्रथम वर्षीय प्रीमियम और अतिरिक्त प्रीमियम, अगर कोई हो तो, का काटकर शेष राशि वापस की जाएगी। अगर एकल प्रीमियम भरा गया हो तो उस एकल प्रीमियम का 90% वापस किया जाएगा।

2. प्रीमियम का भुगतान : वार्षिक छःमाही या तिमाही प्रीमियम किरतों के भुगतान के लिए पन्द्रह दिनों की रियायती अवधि प्रदान की जायेगी। यदि इस रियायती अवधि के अन्दर उस समय देय प्रीमियम का भुगतान करने के पहले ही बीमादार की मृत्यु हो जाती है तो भी पालिसी वैध रहेगी और ऐसे देय प्रीमियम तथा अगली पालिसी वर्षगांठ पूरी होने के पहले तक देय प्रीमियम की किरतें काट लेने के बाद शेष बीमाधन का भुगतान किया जायेगा। यदि प्रीमियम का भुगतान रियायती अवधि समाप्त होने के पूर्व नहीं किया जाता है तो पालिसी कालातीत हो जायेगी।

मृत्यु होने की दशा में, यदि पालिसी कालातीत नहीं है और दावा स्वीकार कर लिया जाता है तो पालिसी के प्रीमियमों की भुगतान विधि वार्षिक के अतिरिक्त अन्य होने पर अगली पालिसी वर्षगांठ तक देय प्रीमियम की धनराशि पालिसी के दावे की राशि से काट ली जायेगी।

3. बन्द पालिसियों का पुनःप्रवर्तन : यदि पालिसी कालातीत हो गई है तो उसे बीमित व्यक्ति के जीवन काल में, किन्तु तालिका में उल्लिखित पालिसी अवधि समाप्त होने की तिथि के पूर्व निगम को सतत बीमा योग्यता का संतोषपद प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा सभी बकाया प्रीमियमों का उस समय की प्रचलित ब्याज दर, जो छमाही चक्रवृद्धि 9% सालाना से अधिक नहीं होगी, से ब्याज सहित भुगतान करने पर पालिसी पुनःप्रवर्तित की जायेगी। निगम बन्द पालिसियों के पुनःप्रवर्तन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। बन्द पालिसी का पुनःप्रवर्तन तभी प्रभावी होगा जब निगम द्वारा उसे अनुमोदित कर

1. Proof of Age : The premium having been calculated on the age of the Life Assured as declared in the Proposal, in case the age is found higher than such age, without prejudice to the Corporation's other rights and remedies, including those under the Insurance Act, 1938, the premium shall be payable in such case at the rate calculated on the Sum Assured for the correct age at entry and the Assured shall pay to the Corporation the accumulated difference between the premium for the correct age and the original premium from the commencement of the policy upto the date of such payment with interest at such rate as may be prevailing at the time of payment provided, however, that in case the Assured continues to pay the premium at the rates shown herein and also does not pay the above mentioned accumulated debt, the accumulated difference between the premium for the correct age and the original premium from the commencement of the Policy upto the date on which the Policy becomes a claim, with interest on each instalment of such difference at such rate as may be prevailing at the time of claim shall accrue and be treated as a debt due by the Life Assured against the said Policy and will be deducted from the Policy moneys payable on the Policy becoming a claim, Provided further that if the Assured's correct age at entry is such as would have made him uninsurable under the class or terms of assurance specified in the said Schedule hereto, the policy will stand cancelled. In such a case, the premium paid under the policy, excluding the first year's premium and extra premiums paid, if any, shall be refunded. If a single premium has been paid then 90% of the single premium shall be refunded.

2. Payment of Premiums : A grace period of 15 days will be allowed for payment of yearly, half yearly or quarterly premiums. If death occurs within this period and before the payment of the premium then due, the policy will still be valid and the Sum Assured paid after deduction of the said premium as also unpaid premiums falling due before the next anniversary of the policy. If the premium is not paid before the expiry of the days of grace, the policy lapses.

If the Policy has not lapsed and the claim is admitted in case of death under a Policy where the mode of Payment of premium is other than yearly, unpaid premiums, if any falling due before the next Policy anniversary shall be deducted from the claim amount.

3. Revival of Discontinued Policies : If the Policy has lapsed, it may be revived during the life time of the Life Assured, but before the date of expiry of the policy term as specified in the schedule, on submission of proof of continued insurability to the satisfaction of the Corporation and the payment

दिया जायेगा तथा विशिष्ट रूप से बीमित व्यक्ति को सूचित कर दिया जायेगा।

4. अभ्यर्पण मूल्य : इस पॉलिसी के अंतर्गत अभ्यर्पण मूल्य नहीं दिया जायेगा।

5. चुकता मूल्य : यह पॉलिसी कोई चुकता मूल्य उपार्जित नहीं करेगी।

6. विशेष परिस्थितियों में जब्ती : यदि प्रीमियम नहीं दिया जाए या इसमें समाविष्ट या पृष्ठांकित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाए या यदि यह पाया जाए कि प्रस्तावपत्र, व्यक्तिगत प्रकथन, घोषणा और संबंधित प्रलेखों में कोई असत्य या गलत कथन सम्मिलित है अथवा कोई तात्त्विक जानकारी छिपाई गयी है तो, ऐसे प्रत्येक मामले में, किन्तु बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 की लागू हो सकनेवाली व्यवस्थाओं के अधीन, यह पॉलिसी अवैध होगी और इसमें संबंधित किसी भी हितलाभ के लिए समस्त दावे बंद और समाप्त हो जायेंगे और पॉलिसी की मद में चुकाई गई सभी राशियाँ निगम की हो जाएगी, लेकिन इस जब्ती के बावजूद पॉलिसी की शर्तों के अनुसार अथवा कानूनी तौर पर निगम द्वारा दी जा सकने वाली सुविधाएँ प्राप्त होती रहेगी।

7. दावे के लिए सामान्य आवश्यकताएँ : पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर दावेदार द्वारा दावा प्रस्तुत करते समय देय सामान्य दस्तावेज होंगे: दावा प्रपत्र के साथ

- मूल पॉलिसी दस्तावेज
- स्वामित्व का प्रमाण
- मृत्यु का प्रमाण
- मृत्यु के पूर्व के चिकित्सा उपचार
- नियोक्ता का प्रमाण पत्र

जो भी निगम के संतुष्टि के लिए लागू हों।

अगर पॉलिसी के अंतर्गत आयु प्रमाणित नहीं की गई है, तो बीमाधारक की आयु का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा।

8. आत्महत्या : जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि को या उसके बाद किन्तु इस पॉलिसी की जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व यदि बीमित व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है (चाहे मस्तिष्क की स्वस्थ अवस्था में या तत्समय अस्वस्थ अवस्था में) तो यह पॉलिसी रद्द हो जाएगी और निगम इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगा, किन्तु इस पॉलिसी से बीमित व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के वे यथार्थ आर्थिक हित सुरक्षित रहेंगे जो उसने किसी मूल्यवान प्रतिदान के द्वारा प्राप्त कर लिए हो और जिसकी लिखित सूचना बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के कम से कम एक कैलेण्डर मास पूर्व उस कार्यालय को भेज दी गई हो जिसमें इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम का अंतिम बार भुगतान किया गया हो।

9. समनुदेशन और नामांकन : समनुदेशन या नामांकन की सूचना पंजीकरण हेतु निगम के उस कार्यालय में प्रेषित करनी चाहिए जहाँ इस पॉलिसी को सेवा की जाती है। समनुदेशन अथवा नामांकन का

of all the arrears of premium together with interest at such rate as may be prevailing at the time of the payment but not exceeding 9% per annum compounding half-yearly. The Corporation reserves the right to accept or accept with modified terms or decline the revival of discontinued Policy. The revival of the discontinued Policy shall take effect only after the same is approved by the Corporation and is specifically communicated to the Life Assured.

4. Surrender Value : No Surrender Value will be available under this policy.

5. Paid-up Value : This policy will not acquire any Paid-up value.

6. Forfeiture in certain events : In case the premiums shall not be duly paid or in case of any condition herein contained or endorsed hereon shall be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the Proposal/Personal Statement, declaration and connected documents or any material information is withheld, then and in every such case but subject to the provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938, wherever applicable, this Policy shall be void and all claims to any benefit in virtue hereof shall cease and determine and all moneys that have been paid in consequence hereof shall belong to the Corporation, excepting always in so far as relief is provided in terms of the Privileges herein contained or may be lawfully granted by the Corporation.

7. Normal Requirements For a Claim : The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the policyholder shall be :

The claim form accompanied with

- original policy document
- proof of title
- proof of death
- medical treatment prior to death
- employer's certificate

Whichever is applicable to the satisfaction of the Corporation. If age is not admitted under the policy, the proof of age of the life assured shall also be submitted.

8. Suicide : This policy shall be void if the Life Assured commits suicide (whether sane or insane at the time) at any time on or after the date on which the risk under the policy has commenced but before the expiry of one year from the date of and the Corporation will not entertain any claim by virtue of this Policy except to the extent of a third party's bonafide beneficial interest acquired in the Policy for valuable consideration of which notice has been given in writing to the office in which the policy is being serviced atleast one calendar month prior to death.

पंजीकरण करने में निगम इसकी वैधता अथवा कानूनी परिणामों से सम्बंधित न कोई उतरदायित्व लेता है और न ही अपनी कोई राय व्यक्त करता है।

10. ऋण : इस पालिसी के अंतर्गत ऋण नहीं दिया जायेगा।

11. यात्रा, निवास और व्यवसाय : यह पालिसी यात्रा, निवास और व्यवसाय जैसे प्रतिबन्धों से मुक्त होगी।

टिप्पणी :

1. "प्रीमियम का भुगतान", "कालातीत पालिसीयों का पुनःप्रवर्तन" और "अगले प्रीमियमों के संदर्भ" से संबंधित उपर्युक्त शर्तें एकल प्रीमियम पालिसी के लिये लागू नहीं होंगी।

2. यदि प्रस्तावक, बीमाधारक या दावेदार को कोई शिकायत हो तो, शिकायत निराकरण अधिकारी/ओम्बड्समैन से सम्पर्क कर सकते हैं, जिनकी पता इस प्रकार है:

शिकायत निराकरण अधिकारी का पता :

ओम्बड्समैन का पता :

9. Assignments and Nominations : Notice of assignment or nomination should be submitted for registration to the office of the Corporation, where this policy is serviced. In registering an assignment or nomination the Corporation does not accept any responsibility or express any opinion to its validity or legal effect.

10. Loan : No loan will be granted under this policy.

11. Travel, Residence and Occupation : The policy is free from all restrictions as to Travel, Residence and Occupation.

NOTE :

(1) The conditions "Payment of Premiums", "Revival of Discontinued Policies", and "references to subsequent premiums" mentioned above are not applicable to Single Premium Policy.

(2) In case the proposer and Life Assured or the claimant has any complaint/grievance, he/she may approach the Grievance Redressal Officer/Ombudsman whose address is as under:

Address of the Grievance Redressal Officer

Address of the Ombudsman